उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 फतेहपुर-212601
UP PWD, Fatehpur – 212601

Office : 05180-223878
Fax : 05180-223878
E-mail : eecd2ftp@gmail.com
Help Line No.-1800-1215-707

पत्रांक 752/C-3/18 दिनांक 25/04/18

सेवा में,

विंध्या टेलीलिंक लिमिटेड, ई0पी0सी0 डिवीजन,
प्लाट नं0–ई–237 ग्रीन टॉवर, तृतीय तल फेज–8 बी
औद्योगिक क्षेत्र, मोहाली, पंजाब। 160055

विषय :– जहानाबाद साढ़ मार्ग में **2.750 किमी0, भोगनीपुर घाटमपुर चौडगरा** मार्ग में 1.250 किमी0, जहानाबाद अमौली चॉदपुर जाफरगंज जोनिहा मार्ग में **42.800 किमी0, शिवराजपुर बिन्दकी ललौली मार्ग में** 17.00 किमी0 **बहराइच बांदा मार्ग का निष्काशित भाग (बहुआ चिल्लाघाट मार्ग) में 7.00 किमी0,** जहानाबाद अमौली चॉदपुर जाफरगंज जोनिहा मार्ग **से अमौली सम्पर्क मार्ग में** 1.40 किमी0 **एवं समस्तपुर मार्ग में** 1.20 किमी0 अर्थात कुल लम्बाई **73.400 किमी0 में मार्ग के किनारे केबल** बिछाने **की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–1518/**VTL/OFC/ROW/UP East** दिनांक–24.03.2018 एवं पत्रांक–2304/VTL/OFC/ROW/UP East दिनांक–23.04.2018

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयगत मार्गों के किनारे ओ0एफ0सी0 केबल बिछाये जाने हेतु एच0डी0डी0 विधि द्वारा कुल 367 गड्ढों (200–200 मी0 की दूरी पर) की कटिंग चार्ज रु0–6,38,580.00 (छः लाख अठतीस हजार पॉच सौ अस्सी रुपये मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट सं0–192011 दिनांक–13.04.2018 अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, फतेहपुर के नाम खण्डीय कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिसके क्रम में उपरोक्त मार्गों पर ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1– मार्ग के लेपित सतह को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न किया जाय।

2– मार्ग के लेपित सतह से 2.50 मी0 दूर कच्चे भाग (मिट्टी) पर ही खुदाई/केबल डालने का कार्य रोड सतह से 1.00 मी0 नीचे ही किया जाय।

3– केबल बिछाने के पश्चात् सतह को पुनः पूर्व अवस्था में कर यातायात योग्य कर दिया जाये, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो।

4– रोड कटिंग का कार्य कराते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड, बैरीकेटिंग व रात्रि में हाईलोजन लगाकर कार्य करायें।

5– यातायात में किसी भी प्रकार की बाधायें न उत्पन्न की जाय।

6– उक्त शर्तों में किसी भी प्रकार के उलंघन की दशा में तथा अनुमति प्रदान किये जाने की तिथि से चार माह के अन्दर ही उपरोक्त कार्य समाप्त कर लिया जाये, अन्यथा अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त आपको अलग से अनुमति हेतु इस कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

(अनिल कुमार राकेश)
अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0,
फतेहपुर

पत्रांक............../........../........ दिनांक........../........./.........

प्रतिलिपि :1– सहायक अभियन्ता (द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ), निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, फतेहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– इस खण्ड के अवर अभियन्ता (प्रा0) को।

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0,
फतेहपुर

D/Ashish Sri (Latter C.D.-2 (Other)